

(TO BE SUBSTITUTED BEARING SAME NUMBER AND DATE)

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में,

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुरुग्राम
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी
3. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
4. विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य/डाईट/बाईट/गैटी ईचार्ज/खण्ड शिक्षा अधिकारी/मुख्याध्यापक।

यादि क्रमांक 8/2-2020 तम (2)
दिनांक पंचकूला: 05.08.2021

विषय:-

स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा मे कार्यरत अध्यापक जो अन्य स्कूलो मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है के सामान्य स्थानान्तरण ड्राईव मे भाग लेने बारे।

.....

स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के सभी अध्यापक जो हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य स्कूलो मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल सामान्य स्थानान्तरण ड्राईव के पूर्ण होने की तिथि तक बढ़ाया जाता है। इस तरह के सभी अध्यापको को आदेश दिये जाते है कि वे सामान्य स्थानान्तरण ड्राईव मे भाग लेंगे व सामान्य स्थानान्तरण ड्राईव की समाप्ति उपरान्त स्थानान्तरण ड्राईव के आधार पर आंबटित स्कूल मे कार्यग्रहण करेंगे।


6/8/2021


उप-अधीक्षक तालमेल-1
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला

दिनांक पंचकूला 06/08/2021

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. एस0एस0/पी0एस0सी0एम, एस0एस0/माननीय शिक्ष मंत्री, पी0एस0/अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा।
- 2- संयुक्त निदेशक (आई0टी0)।


6/8/2021

उप-अधीक्षक तालमेल-1
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला